भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 372

02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) 2.0 के अंतर्गत समस्याएँ

372. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) 2.0 प्लेटफॉर्म कब आरंभ किया गया और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या ई-नाम 2.0 के आरंभ के दौरान अपर्याप्त योजना, समन्वय और प्रशिक्षण के कारण राज्य की मंडियों में व्यापारिक गतिविधियाँ बाधित हुईं, जिससे किसानों, व्यापारियों और अभिकर्ताओं को कठिनाई हुई;

(ग) क्या राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ई-नाम 2.0 के कार्यान्वयन से पहले ई-नाम प्रणाली में सुधार के संबंध में एसएफएसी को भेजे गए सुझावों और फीडबैक को शामिल किया गया था; और

(घ) एनएएम 2.0 के आरंभ के बाद से राजस्थान राज्य में कितनी मंडियों में तकनीकी समस्याएँ सामने आई हैं और किस प्रकार व्यापारिक गतिविधियाँ बाधित हुईं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) 2.0 का पायलट परीक्षण दिनांक 03.11.2025 को राजस्थान में किया गया। ई-नाम 2.0 का उद्देश्य मौजूदा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को उन्नत बनाना है।

(ख): पायलट परीक्षण से पूर्व, राजस्थान की 173 कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी)/मंडियों के लिए दिनांक 16.09.2025 से 19.09.2025 तक ई-नाम 2.0 की संपूर्ण प्रक्रिया को विस्तार से समझाने के लिए ओरिएंटेशन कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, ई-नाम 2.0 से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने के लिए राजस्थान की एपीएमसी/मंडियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठकें एवं टेलीफ़ोनिक परामर्श किए गए। मंडी के कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ग): सुझाव और फीडबैक एक सतत प्रक्रिया है। राजस्थान से समय-समय पर प्राप्त सुझावों और फीडबैक की जांच की गई तथा उन्हें राज्य प्राधिकरणों एवं तकनीकी टीम के परामर्श से समाधान किया गया।

(घ): संचालन के दौरान तकनीकी एवं सर्वर संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका समय-समय पर समाधान किया जाता है। राजस्थान की कृषि उपज मंडी समितियाँ (एपीएमसी)/मंडियाँ ई-नाम 2.0 प्लेटफ़ॉर्म पर लेन-देन कर रही हैं।

*****